आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा

स्टाम्प अपील वाद संख्या–18 / 2019

श्री शमीम अहमद खान

बनाम्

राज्य सरकार व अन्य

उपस्थिति / प्रतिनिधित्व

वादी की तरफ से :–विद्वान अधिवक्ता, मणीन्द्र कुमार ठाकुर एवं निरसु नारायण सिंह।

सरकार की तरफ से :–विद्वान सरकारी अधिवक्ता, सारण।

आदेश

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
27.09.2024 **23.10.2024**	प्रस्तुत अपीलवाद सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के वाद सं०–**118 / 2017** में दिनांक–**30.01.2018** को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। उक्त आदेश द्वारा सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–**23.11.2016** को अवर निबंधन कार्यालय, बड़हरिया, सिवान में निबंधित दस्तावेज (विक्रय–पत्र), दस्तावेज सं0–**4490**, मौजा–बड़हरिया, राजस्व ग्राम सं०–**319**, खाता सं०–**586** सर्वे / खेसरा सं०–**1523** कुल रकबा–**2** कट्ठा **17** धुर में कमी मुद्रांक की राशि–**1,96,620** / – रूपया एवम् उस पर अधिरोपित अर्थ दंड की राशि–**19,662** / –रूपया अर्थात् कुल–**2,16,282** / – रूपया का मुद्रांक जमा करने का आदेश दिया गया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा धारा **47 (A) (4)** के अधीन इस न्यायालय में वाद दायर किया गया है। उक्त के आलोक में वाद को अधिग्रहित करते हुए निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त कर अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम् से एवम् विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। **Bihar Stamp & Court Fees**	

WEB COPY NOT OFFICIAL

Manual की धारा **47 A (6)** के तहत् अपीलकर्त्ता द्वारा **deficit stamp amount** का **50%** जमा करते हुए इस स्तर पर वाद दायर किया गया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्त्ता के पक्ष में प्रश्नगत भूमि दिनांक–23.11.2016 को निबंधित केवाला सं०–4490 के माध्यम से श्री श्यामनारायण सिन्हा, पिता स्व० अवध किशोर नारायण सिन्हा वो श्री मंतोष कुमार सिन्हा, पिता–श्री कार्त्तिक कुमार सिन्हा वो श्री ज्ञानचन्द्र अस्थाना, पिता–स्व० कौशल कुमार सिन्हा ने निष्पादित किया है। श्री ग्यासुद्दीन खान ने दुश्मनी के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष राजस्व क्षति के संबंध में झूठा आवेदन दिया गया। उक्त के आलोक में मामले की जॉच करते हुए गलत प्रतिवेदन के आधार पर दस्तावेज का मूल्यांकन किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अवर निबंधक, बड़हरिया के द्वारा दिनांक–31.10.2018 को कमी मुद्रांक शुल्क के संबंध में सूचना दिया गया। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि उक्त जमीन भीठ श्रेणी का है, जबकि आवासीय के आधार पर शुल्क का निर्धारण किया गया है। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल अधिकारी, बड़हरिया के त्रुटि युक्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार प्रश्नगत भू–संपत्ति का निबंधन दिनांक–23.11.2016 को कराया गया, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के समक्ष शिकायत दर्ज कराया गया था। उक्त के आलोक में ही मामले की जाँच की गयी है। इस क्रम में अवर निबंधक, बड़हरिया, जिला–सिवान के पत्रांक–176 दिनांक–18.09.2017 को मामला सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा को रेफर किया गया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का यह भी कहना है कि Indian Stamp Act-1899 की धारा–47 A (3) के तहत दो वर्षो की अवधि के अंदर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर समुचित विचारोपरांत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

अपीलकर्त्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निबंधित भूखण्ड बड़हरिया–सिवान मुख्य मार्ग के उत्तर कुछ दूरी पर अवस्थित है, जबकि मुख्य मार्ग से लगे हुए क्रेता की भूमि पूर्व से ही है। भूखण्ड के बगल में आरा मशीन है। तदालोक में प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47 (A) के अधीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा को प्रेषित किया गया। सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल ने अपीलकर्त्ता को निबंधित डाक से नोटिस करते हुए अपना आदेश पारित किया है।

निम्न न्यायालय के अभिलेख/आदेश में स्पष्ट अंकित है कि :–

पक्षकार को इस न्यायालय के पत्रांक–778 दिनांक–15.12.2017 (साधारण डाक), पत्रांक–812 दिनांक 22.12.2017 (निबंधित डाक) से पक्षकार को सूचना/नोटिस उपलब्ध कराई गई। परंतु ना तो पक्षकार और ना ही उनके कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए, इसलिए पक्षकार को पुनः नोटिस/सूचना पत्रांक–46 दिनांक–05.01.2018 (निबंधित डाक), पत्रांक–68 दिनांक–12.01.2018 (निबंधित डाक) के बावजूद भी इसके पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। पुनः अंतिम नोटिस/सूचना पत्रांक–152 दिनांक–20.01.2018 द्वारा निर्गत किया गया, परंतु पक्षकार फिर भी अनुपस्थित रहे। इस तरह पक्षकार द्वारा वाद की सुनवाई में रूची नहीं लेने से यह प्रतीत होता है कि पक्षकार के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है या उन्हे अब इस वाद के संदर्भ में कुछ नहीं कहना है। अतः राजस्व हित में उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर निबंधन पदाधिकारी, बड़हरिया द्वारा प्रतिवेदित मूल्य रू0 39,24,000/– पर स्वीकृति दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता को उक्त वाद की जानकारी पूर्व से थी। इसलिए उनका यह दावा मान्य नहीं हो सकता है कि उनके विरूद्ध उनको सूचना दिये बगैर आदेश पारित कर दिया गया है। जहाँ तक अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता के दावे का प्रश्न है कि प्रश्नगत भूमि **भीठ** श्रेणी की है के संबंध में *अवर निबंधक, बड़हरिया के प्रतिवेदन अनुसार*

WEB COPY NOT OFFICIAL

खेसरा नं0–1523 जो व्यवसायिक कोटि की है। परंतु पक्षकार द्वारा जमीन की उचित कोटि छुपा कर भीठ कोटि में निबंधन कराया गया है। इस प्रकार सहायक निबंधन महानिरीक्षक, सारण प्रमंडल, छपरा ने अपना आदेश पारित किया है।

अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन एवम् विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा रखे गये तथ्य से स्पष्ट होता है कि पक्षकार द्वारा जान–बूझकर तथ्य को छुपाया गया है, जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 27– ***"The consideration 1[if any,], and all other facts and circumstance affecting the chargeability of any instrument with duty with which it is chargeable, shall be fully and truly set forth therein".*** के अनुकूल नहीं है।

बिहार गजट (असाधारण) 25 जून 1997 के ***S.O.*** 140 दिनांक–25 जून 1997 के द्वारा समाहर्त्ता की शक्ति सहायक निबंधन महानिरीक्षक में निहित है एवं अंकित है कि–***"In exercise of powers conferred by section 2, sub-section 9 (b) of the Indian Stamp Act, 1899 (Act II 1899), The State Government confers the power of Collector to the inspector of Registration Officers exercisable subject to general or special direction of the Secretary, Registration department for the districts of their respective Jurisdiction from the date of notification in official gazette."***

उपर्युक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का पालन करते हुए मुखर आदेश पारित किया गया है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे **यथावत्** रखा जाता है।

तदनुसार, **प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत** किया जाता है।

आई०टी० सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL